

**उ0प्र0 विधान परिषद के प्रथम सत्र 2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल,
मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-17 का उत्तर।**

प्रश्न

उत्तर

17(क)- क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक गाँव में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण कराते हुए उनके मजरी एवं छुटपुट घरों का भी विद्युतीकरण कराये जाने की योजना है?

जी हाँ।

सामान्यतः मजरी का विद्युतीकरण सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराया जाता है। छुटपुट घरों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में विद्युत सप्लाई कोड के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(ख) यदि हाँ तो क्या प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तहसील-सदर के विकास खण्ड-काकोरी की ग्राम सभा बेढौना की विद्युत आपूर्ति फतेहगंज पावर हाउस, काकोरी-लखनऊ से संचालित है?

ग्राम सभा बेढौना की विद्युत आपूर्ति एफ0सी0आई0 विद्युत उपकेन्द्र से की जाती है।

(ग) यदि हाँ तो क्या उक्त ग्राम किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनों तरफ आबादी है, बेढौना के कुछ घर जो रिंग रोड के दूसरी तरफ आते हैं गाटा संख्या-244 सहित आस पास के अन्य गाटा संख्या में कई वर्षों से निर्मित भवन जो विद्युत सुविधा से वंचित है का विद्युतीकरण कराये जाने हेतु प्रश्न कर्ता का पत्र दिनांक 28 फरवरी, 2023 व डा० अमित सिंह चौहान, विधायक का पत्र दिनांक 21 फरवरी, 2023 ऊर्जा मंत्री को सम्बोधित ग्राम बेढौना के छूटे घरों का विद्युतीकरण कराने जाने विषयक था प्राप्त हुआ है?

इस विषय के बारे में मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2023 तथा डा0 अमित सिंह चौहान, मा0 विधायक का पत्र दिनांक 21 फरवरी, 2023 प्राप्त हुआ है।

(घ) यदि हाँ, तो पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा जनहित में जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा/संस्तुति पर ग्राम-बेढौना, परगना/विकास खण्ड-काकोरी, जनपद-लखनऊ के छूटे हुए ग्राम-बेढौना के निर्मित/अर्ध निर्मित भवनों का विद्युतीकरण सरकार की महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजना में सम्मिलित कर कराया जायेगा?

उक्त पत्रों के मुख्य बिन्दु:- रोड के किनारे ग्राम बेढौना के सम्मुख लगे ट्रांसफार्मर से काकोरी-मोहान रोड के पुल तक यदि 8 से 10 खम्भे रोड के किनारे पुल तक लगवाकर विद्युतीकरण करा दिया जाय तो उक्त विद्युत सुविधा का लाभ जनता को प्राप्त होगा।

विभाग द्वारा जनहित में कार्यवाही:- इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कोड (नवां संशोधन) द्वारा प्राविधानित जमा योजना अन्तर्गत विद्युत तंत्र का निर्माण किये जाने की व्यवस्था है। संबंधित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा ग्राम बेढौना के दिनांक 03.10.2023 के स्थलीय निरीक्षण में, जहाँ वर्तमान में 04 मकान निर्मित है, विद्युत तंत्र स्थापित करने हेतु लगभग 7.09 लाख का व्यय अनुमानित पाया गया है। आवेदकों द्वारा प्राक्कलित धनराशि जमा करने पर विद्युत तंत्र का निर्माण कराया जा सकता है।

(ड) यदि हाँ, तो कब तक ?

प्रश्न नहीं उठता।

**ए0 के0 शर्मा
ऊर्जा मंत्री।**